प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक अपील संख्या 1191/2023

[विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम), जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़ द्वारा विशेष सत्र विचारण संख्या 70/2022 में दिनांक 05.04.2023 को पारित निर्णय से उत्पन्न।]

लच्छीराम यादव पिता स्वर्गीय श्री चेदीलाल यादव, 45 वर्ष, निवासी पठान मोहल्ला, वार्ड संख्या 06, गाँव–बलौदा, पुलिस थाना–बलौदा, निवासी–जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---अपीलकर्त्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना के द्वारा–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :– श्री अमित बक्सी, अधिवक्ता।

राज्य–उत्तरवादी हेतु :– श्री राहुल तमस्कर, शासकिय अधिवक्ता।

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल,न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

03/03/2025

1. एकमात्र अपीलकर्ता–अभियुक्त द्वारा दं. प्र. सं. की धारा 374(2) के तहत दायर वर्तमान दाण्डिक अपील में विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम), जनजगीर, जिला जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़ द्वारा सत्र विचारण संख्या 70/2022 में दिनांक 05.04.2023 को पारित निर्णय की वैधानिकता, वैधता और शुद्धता पर आपत्ति है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को भा.दं. सं. की धारा 376(2)(एन) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और इसके तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1,000/– रुपये के जुर्माने का दंडपारित किया गया है; जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर अपीलकर्ता को बीस दिनों के अतिरिक्त कठोर कारावास का दंड भुगतना होगा ।

2. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत और विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किए गए अभियोजन का मामला यह है कि 27.07.2022 से पहले और 27.07.2022 को लगभग 10:00 बजे रात में अपीलकर्ता ने अपनी नाबालिग पुत्री [पीड़िता (पीडब्लू–2)] के साथ बार–बार यौन संबंध बनाए और इस तरह उपरोक्त अपराध कारित किया। 29.07.2022 को पीड़िता (पीडब्लू–2) ने उक्त घटना के बारे में पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके अनुसार एक्स.पी/6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।नजरी नक्शा एक्स.पी/13 के तहत तैयार किया गया था।पीड़िता की मेडिकल जांच डॉ. ममता जगत (पीडब्लू–7) ने की थी, जिन्होंने एक्स.पी/11 के तहत पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी।पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट (एक्स.पी/11) के अनुसार डॉ. ममता जगत (पीडब्लू–7) द्वारा जबरन यौन उत्पीड़न का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया था।रासायनिक विश्लेषण के लिए डॉ. ममता जगत (पीडब्लू–7) द्वारा योनि स्लाइड तैयार की गई। अन्य सामान भी जब्त किए गए थे। जब्त सामान को रासायनिक विश्लेषण के लिए एफएसएल भेजा गया और एफएसएल रिपोर्ट (एक्स.पी/10) के अनुसार पीड़िता की योनि स्लाइड और अंडरवियर पर वीर्य और मानव शुक्राणु नहीं पाए गए, हालांकि, अपीलकर्ता की वीर्य स्लाइड और अंडरवियर पर वीर्य और मानव शुक्राणु के धब्बे पाए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उचित अन्वेषण पश्चात्, अपीलकर्ता को उपरोक्त अपराध के लिए आरोप–पत्र दिया गया और मामला कानून के अनुसार सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। अपीलकर्ता/अभियुक्त ने अपने अपराध से इनकार कर दिया और बचाव में प्रवेश किया।

4. वाद के दौरान, अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 9 साक्षीयो का परीक्षण किया गया तथा 20 दस्तावेज पेश किए, जबकि बचाव में अपीलकर्ता ने न तो किसी साक्षी का परीक्षण किया गया और न ही कोई दस्तावेज पेश किया गया। अपीलकर्ता का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों में उसके विरुद्ध दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया, तथा खुद को निर्दोष बताया और झूठे मामले में फंसाए जाने का तर्क दिया है ।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करने के बाद, अपीलकर्ता को निर्णय के प्रारंभिक कंडिका में उल्लिखित अपराध के लिए दोषी ठहराया, जिसके खिलाफ अपीलकर्ता ने इस अपील को पेश किया है, जिसमें दोषसिद्धि और दंड के आदेश पर सवाल उठाया गया है।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित बक्सी ने प्रस्तुत किया कि पीड़िता, जो अपीलकर्ता की पुत्री है, ने अपीलकर्ता को प्रश्नगत अपराध में झूठा फंसाया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि चिकित्सा साक्ष्य के साथ–साथ फोरेंसिक साक्ष्य ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता "उत्कृष्ट गवाह" नहीं है, इसलिए अपीलकर्ता निर्दोष है तथा दोषमुक्त होने का हकदार है। अतः, इस प्रकार अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

7. श्री राहुल तामस्कर, विद्वान राज्य अधिवक्ता, प्रस्तुत करते है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपराध को साबित करने में सक्षम रहा है, इसलिए अपील खारिज किए जाने योग्य है और अपीलकर्ता दोषमुक्त होने का हकदार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मैंने विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंदी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का बारीकी से अध्ययन किया है।

9. निस्संदेह, अपीलकर्ता की दंड पूरी तरह से पीड़िता (पीडब्लू–2) के बयान पर आधारित है, क्योंकि डॉ. ममता जगत (पीडब्लू–7) द्वारा साबित किए गए चिकित्सा साक्ष्य (एक्स.पी/11) कहीं भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि हाइमन पहले से ही टूटी हुई थी; कोई आंतरिक चोट नहीं पाई गई थी तथा संभोग का कोई संकेत भी नहीं मिला था।यहां तक कि पीड़िता की योनि स्लाइड पर फोरेंसिक साक्ष्य (एक्स.पी/10) में भी वीर्य तथा मानव शुक्राणु के धब्बे नहीं पाए गए।इसलिए, मेडिकल और फोरेंसिक साक्ष्यों के अभाव में, विचारण न्यायालय ने केवल पीड़िता (पीडब्लू–2) की मौखिक गवाही के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराया है। इस प्रकार, अपीलकर्ता के दंड के आधार के लिए पीड़िता (पीडब्लू–2) का बयान "उत्कृष्ट गुणवत्ता" का होना चाहिए।सर्वोच्च न्यायालय ने राय **संदीप उर्फ दीपू बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) 1** के मामले में यह टिप्पणी की है कि किसे "उत्कृष्ट साक्षी" कहा जा सकता है और जिसका हाल ही में **संतोष 1 (2012) 8 एससीसी 21 प्रसाद @ संतोष कुमार बनाम बिहार राज्य 2** के मामले में अनुसरण किया गया है।**राय संदीप उर्फ दीपू (सुप्रा)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने कंडिका संख्या 22 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:–––

"22. हमारी सुविचारित राय में, "उत्कृष्ट साक्षी " बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता वाला होना चाहिए, जिसका बयान इसलिए, अकाट्य होना चाहिए। ऐसे साक्षी के बयान पर विचार करने वाले न्यायालय को बिना किसी हिचकिचाहट के इसे उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे साक्षी की

गुणवत्ता का परीक्षा करने के लिए, साक्षी की स्थिति महत्वहीन होगी और जो सुसंगत होगा वह ऐसे साक्षी द्वारा दिए गए बयान की सत्यता होगी। कथन की सुसंगतता शुरुआत से लेकर अंत तक, यानी उस समय जब गवाह प्रारंभिक बयान देता है और अंततः अदालत के समक्ष बयान देता है, अधिक सुसंगत होगी। यह स्वाभाविक होना चाहिए और अभियुक्त के रूप में अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे साक्षी के कथन में कोई झूठ नहीं होना चाहिए। साक्षी को किसी भी लम्बाई और चाहे कितनी भी कठिन जिरह क्यों न हो, उसका सामना करने की स्थिति में होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्तियों और इसके अनुक्रम के बारे में किसी भी संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।इस तरह के विवरण का अन्य सभी सहायक सामग्रियों जैसे बरामदगी, इस्तेमाल किए गए हथियार, अपराध का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय के साथ सह–संबंध होना चाहिए। उक्त कथन को प्रत्येक अन्य साक्षी के कथन से लगातार मेल खाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू किए गए परीक्षण के समान होना चाहिए, जहां परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई भी ऐसी कड़ी गायब नहीं होनी चाहिए, जिससे अभियुक्त को उसके विरुद्ध अभिकथित अपराध का दोषी ठहराया जा सके।केवल तभी जब ऐसे साक्षी का कथन उपरोक्त परीक्षण के साथ–साथ लागू किए जाने वाले अन्य सभी समान परीक्षणों को उत्तीर्ण करता है, तो यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि ऐसे गवाह को "उत्कृष्ट साक्षी" कहा जा सकता है, जिसका संस्करण न्यायालय द्वारा बिना किसी पुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है।अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो, अपराध के मूल स्पेक्ट्रम पर उक्त साक्षी का कथन यथावत रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी सहायक सामग्री अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुएं, भौतिक विवरणों में उक्त कथन से मेल खानी चाहिए, ताकि अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय को अभियुक्त को अभिकथित आरोप का दोषी ठहराने के लिए अन्य सहायक सामग्रियों को छांटने हेतु मूल कथन पर भरोसा करने में सक्षम बनाया जा सके।"

10. अब विचारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या पीड़िता का बयान विश्वास पैदा करता है और पूर्णतः विश्वसनीय, बेदाग प्रतीत होता है और क्या यह उत्कृष्ट गुणवत्ता का है?

11. इसकी परीक्षण करने के लिए पीड़िता (पीडब्लू–2) के कथन पर ध्यान दिया जा सकता है जिसमें मुख्य परीक्षा में पीड़िता (पीडब्लू–2) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और केवल यह कहा है कि मेरे पिता (अपीलकर्ता) ने मार–पीट की है और इसके अलावा अपीलकर्ता द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। यद्यपि पीड़िता (पीडब्लू–2) को पक्षद्रोही घोषित किया गया और उससे प्रमुख प्रश्न पूछे गए और उसके उत्तर में उसने कहा है कि उसके पिता (अपीलकर्ता) ने 27.07.2022 से पहले और साथ ही 27.07.2022 को उसके साथ यौन संबंध बनाए हैं ।हालांकि, प्रतिपरीक्षा में उसने यह तथ्य स्वीकार किया है कि इससे पहले वह रितेश यादव नामक व्यक्ति के साथ फरार हुई थी (जिसकी जिरह नहीं की गई) और रिपोर्ट दर्ज होने पर रितेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जिसके कारण रितेश की दादी और अन्य परिवार के सदस्यों ने उस पर मामला वापस लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। उसने आगे कहा है कि घटना दिनांक को उसके पिता (अपीलकर्ता) नशे की हालत में थे और उसके द्वारा बनाया गया खाना उसके पिता को पसंद नहीं आया था, इसलिए उन्होंने उसके साथ मारपीट की थी, जिसके कारण वह घर के बाहर गई थी, जहां रितेश यादव की दादी उससे मिली और उसे थाने ले गई और उसके पिता (अपीलकर्ता) के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई।उसने आगे कहा कि चूंकि उसके पिता (अपीलकर्ता) ने रितेश यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, इसलिए रितेश यादव की दादी उसके पिता (अपीलकर्ता) को अपराध में फंसाना चाहती थी, इसलिए रितेश यादव की दादी के बयान के आधार पर उसने (पीड़िता ने) पुलिस को मामले की सूचना दी और अपने अंगूठे का निशान लगाया।इस प्रकार, वह प्रशिक्षित साक्षी प्रतीत होती है, जिसे रितेश यादव की दादी द्वारा प्रशिक्षित किया गया था (जिसकी जांच नहीं की गई) क्योंकि पीड़िता ने रितेश यादव के खिलाफ अपीलकर्ता के कहने पर मामले की रिपोर्ट की थी, जिसके कारण रितेश यादव को जेल हो गई है और इसलिए, यह सुस्पष्ट है कि अपीलकर्ता और रितेश यादव के परिवार के बीच दुश्मनी थी, जिसके कारण रितेश यादव की दादी और अन्य परिवार के सदस्यों ने पीड़िता पर अपीलकर्ता के खिलाफ परिवाद करने के लिए दबाव डाला और अंततः उसने (पीड़िता ने) परिवाद की।अन्यथा भी, मेडिकल रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करती है।तदनुसार, यह झूठे आरोप का एक स्पष्ट मामला है क्योंकि पीड़िता राय संदीप उर्फ दीपू (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशो द्वारा आयोजित "उत्कृष्ट साक्षी" के किसी भी परीक्षण को पारित करने में विफल रही है।इस मामले को देखते हुए, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखना पूरी तरह जोखिम भरा होगा और इसलिए, वह स्पष्ट रूप से दोषमुक्त होने का हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। विद्वानविचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 05.04.2023 के दोषसिद्धि संबंधी आक्षेपित निर्णय और दंड के आदेश को इसके द्वारा अपास्त दिया जाता है। अपीलकर्ता को भा.दं. सं. की धारा 376(2)(एन) के तहत अपराध के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है। बताया जाता है किवह 30.07.2022 से जेल में है।मैं उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश देता हूं, यदि किसी अन्य अपराध में उसकी अभिरक्षा की आवश्यकता नहीं है।

13. इस निर्णय की प्रमाणित प्रति मूल अभिलेख के साथ संबंधित विचारण न्यायालय को भेजी जाए और इस निर्णय की प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को भी भेजी जाए, जहां अपीलकर्ता बंद है और कारावास का दंड भुगत रहा है, ताकि सूचना और आवश्यक कार्यवाही , यदि कोई हो, की जा सके।

सही/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur